अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,हल्द्वानी (नैनीताल)।
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D.Haldwani.
(Phone/Fax) : 05946-223352 **E-mail-** ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 1647 / 4c दिनांक 09/06/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषय :– **जनपद नैनीताल मे कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग से बोरपुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0888 हेक्टयर आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/8636/2014)**

सन्दर्भ :– **E.D.S. दिनांक 01.06.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित दिनांक 01.06.2016 के E.D.S. के अनुपालन में अवगत कराना है भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य) पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर देहरादून के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0बी0 / 06 / 08 / 2015, दिनांक 10.06.2015 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून के पत्राक 3684 / FP/UK/ROAD/8636/2014 देहरादून दिनांक 18.06.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा 9 बिन्दुओं मे मांगी गयी सूचना / आख्या खण्ड के पत्रांक 2512 / 4सी, दिनांक 13.08.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। परन्तु आपके द्वारा 1 जून 2016 को मांगी आख्या के अनुपालन में बिन्दु सं0 1, 6, 9 की सूचना / आख्या पुनः प्रश्न उत्तर के प्रारुप में निम्नवत् प्रेषित है:–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1/1	Part-I of the prescribed application Form-A is casually filled and no information/data is given in para-I (क), I(घ), I(च) & para-2 Further, the undertaking regarding payment of CA coast has also not been given by the user Agency.	बिन्दु 1 के पार्ट–I के पैरा I(क), I(घ), I(च) जो लो0नि0वि0 से सम्बन्धित है की सूचना निर्धारित प्रारुप में अंकित कर दी गयी है एवं प्रपत्र 2 के भाग 1 के क्रमांक 5 पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षा रोपण एवं परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण का प्राकलन (प्रस्तावों में पृष्ठ सं0 95 से 101 पर) संलग्न है, चूकि परियोजना हेतु आवेदित भूमि का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम है।
2/6	On the eastern side of the proposed road, sufficient non-forest land seems to be available. State Govt. is advised to explore alignment of road in the non-forest land instead of forest land.	कृषको की भूमि में परियोजना के समरेखण में आधिकांश स्थानो मे आवास आ जाने के कारण एवं परियोजना के निर्माण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना के समरेखण को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण वनभूमि एवं कृषको की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा, जिससे भविष्य में वन भूमि पर अतिकमण की सम्भावनायें इस क्षेत्र में नही होगी।

F/: OFFICE ORDER 2016 - 347

3/9	Digital map with geo-referenced boundaries in respect of forest land proposed for CA showing boundary and names of forest areas as well as other land uses and important physical features in the vicinity may be submitted on Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale in hard and soft copy duly authenticated by DFO.	परियोजना का क्षेत्रफल एक है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्ष रोपण और परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन प्रस्तावो में संलग्न है, उक्त परियोजना का क्षेत्रफल एक है0 से कम है। अतः उसे डिजिटल मानचित्र में प्रदर्शित नही किया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

O/C

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक 1647/ 4C

दिनांक 09/06/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्द्रानगर, फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।

O/C

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,हल्द्वानी (नैनीताल)।
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D.Haldwani.
(Phone/Fax) : 05946-223352 **E-mail-** ee ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 2512 / 4सी दिनांक 13 / 08 / 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग।

विषय :– **जनपद नैनीताल के बोरपुल–हनुमान मन्दिर–छोटी हल्द्वानी–गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ :– **अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक FP/UK/ROAD/8636/2014 देहरादून दि0 18.06.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठाकित है के क्रम मे लो0नि0वि0 से सम्बन्धित बिन्दुओ की आख्या निम्नवत् है :–

1. बिन्दु 1 के पार्ट I के पैरा–I(क), I(घ), I(च) जो लो0नि0वि0 से सम्बन्धित है ~~कि~~ की सूचना निर्धारित प्रारुप में अंकित कर दी गयी है, एवं प्रपत्र 2 के भाग 1 के क्रमांक 5 पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षा रोपण एवं परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण का प्राकलन (प्रस्तावो मे पृष्ठ सं0 95 से 101 पर) संलग्न है, चूंकि परियोजना हेतु आवेदित भूमि का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम है।
2. वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
3. वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
4. वन संरक्षक महोदय द्वारा आपकी आख्या को अग्रसारित किया गया है, जिसमें परियोजना के सम्बन्ध मे संस्तुति लिखी जानी है, जो आपकी आख्या उपरान्त ही वन संरक्षक महोदय द्वारा परियोजना हेतु संस्तुति लिखी जायेगी।
5. 12.02.2015 की रिपोर्ट आपसे/वनविभाग से सम्बन्धित है।
6. कृषको की भूमि मे परियोजना के समरेखण मे आधिकाशं स्थानो मे आवास आ जाने के कारण एवं परियोजना के निर्माण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना के समरेखण को वन भूमि मे प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण वनभूमि एवं कृषको की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा, जिससे भविष्य में वन भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावनायें इस क्षेत्र में नही होगी।
7. परियोजना के समरेखण मे आरम्भ में 25 मी0 लम्बाई एवं 4.50 मी0 चौडाई व शेष भाग मे 9 मी0 चौडाई में समरेखण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस 25 मी लम्बाई में एक ओर वन भूमि पर पुरातन हनुमान मन्दिर निर्मित है, जिसे हटाया नही जा सकता है, दूसरी ओर कृषको की भूमि है जिसमे उनके आवास निर्मित है। दोनो के बीच 4.50 मी0 चौडाई में मार्ग का समरेखण प्रस्तावित है। उक्त 4.50 मी0 चौड़ाई का ग्रामीणो द्वारा वर्तमान मे मार्ग के रुप मे भी उपयोग किया जा रहा है। उक्तानुसार समरेखण कृषको की भूमि एवं वन भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा जिसको ध्यान मे रखते हुए 25 मी0 लम्बाई मे स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार 4.50 मी0 चौड़ाई ली गयी है।

क्रमशः–2

8. वन विभाग से सम्बन्धित।

9. परियोजना का क्षेत्र फल एक हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षा रोपण और परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन प्रस्तावो मे संलग्न है, उक्त परियोजना का क्षेत्र फल एक हे0 से कम है। अतः उसे डिजिटल मानचित्र में प्रदर्शित नही किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र मे वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या/सूचना के साथ लो0नि0वि0 की उक्त आख्या को नोडल अधिकारी को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः– प्रस्तावो के प्रपत्र 2 के
भाग/पार्ट 1 की संशोधित 5 प्रतियॉ।

13/08/15

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक ____/____

दिनांक ____/____/2015

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल।

3. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रपत्र–2

परिशिष्ठ

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :–	
क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	संलग्न प्रपत्र 1 व पृष्ठ सं0 34 में।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न प्रपत्र 6 में।
ग) परियोजना की लागत।	₹ 32.44 लाख।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण (संलग्न जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रपत्र सं0 10में) उक्त मार्ग निर्माण से 4 गॉवो के निवासी लाभावन्ति होगे यह समरेखन वन भूमि एवं कृषको की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा जिससे वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावना भी नही होगी।
ङ.) लागत लाभ विश्लेषण :–	लागू नही।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	निर्माण के समय 4000 स्थानीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं भविष्य में अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
2. कुल आपेक्षित भूमि का उद्‌देश्यवार विवरण।	कुल आप्रेक्षित भूमि में जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बौरपुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण ही किया जायेगा।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	शून्य।
क) परिवारों की संख्या	शून्य।
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है (हां / नही)–	नही।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्वता (वचनवद्वता संलग्न की जाये)	चुकि परियोजना का क्षेत्र फल 1 हे0 से कम है अतः क्षतिपुरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षा रोपण और परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन पृष्ठ सं0 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101पर संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न अनुसूची के अनुसार।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक..........................
स्थान–..........................

प्रस्ताव की कम संख्या..........................

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

Office Letter 2015:- 142

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,हल्द्वानी (नैनीताल)।
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D.Haldwani.
(Phone/Fax) : 05946-223352 **E-mail-** ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 1563/4C दिनांक 28/5/2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्द्रानगर
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण देहरादून सं0 7214 पत्रावली ... दिनांक 4/6/16

विषय :– **जनपद नैनीताल में बोरपुल हनुमान मन्दिर से गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888 हेक्टयर आरक्षित वनभूमि का प्रत्यावर्तन (F.P./U.K./ROAD/8636/2014)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य) पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर देहरादून का पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 08 / 2015, दिनांक 10.06.2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर, देहरादून का पत्रांक 3684 / F.P./U.K./ROAD/8636/2014 देहरादून दिनांक 18.06.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य) पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर देहरादून द्वारा प्रमुख सचिव (वन) सुभाष रोड, उत्तराखण्ड शासन से उनके पत्रांक 161 / X–4–15 / 1(76) / 2015, दिनांक 30.03.2015 के सन्दर्भ में अपने पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 08 / 2015, दिनांक 10.06.2015**(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा 9 बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी। उक्त मे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालौनी, देहरादून द्वारा पत्रांक 3684 / F.P./U.K./ROAD/8636/2014 देहरादून दिनांक 18.06.2015 **(छाया प्रति संलग्न)** के निर्देशो के अनुपालन मे इस खण्ड के पत्रांक 2512 / 4सी0, दिनांक 13.08.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को प्रेषित की जा चुकी है। **(छाया प्रति संलग्न)** जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है।

पुनः उपरोक्त पत्रों के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को दिनांक 13.08.2015 को प्रेषित की गयी आख्या बिन्दुवार प्रश्न एवं उत्तर के प्रारुप मे अंकित कर प्रेषित की जा रही है। जो निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Part-I of the prescribed application Form-A is casually filled and no information/data is given in para-I[क], I[घ], I [च], & para-2 further the undertaking regarding payment of CA cost has also not been given by the User Agency.	बिन्दु 1 के पार्ट–I(क), I(घ), I(च) जो लो0नि0वि0 से सम्बन्धित है कि सूचना निर्धारित प्रारुप में अंकित कर दी गयी है एवं प्रपत्र 2 के भाग 1 के क्रमांक 5 पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षा रोपण एवं परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण का प्रकलन (प्रस्तावो में पृष्ठ सं0 95 से 101 पर) संलग्न है, चूकि परियोजना हेतु आवेदित भूमि का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम है।
2	In Part-II, para-10, DFO has simply written "Enclosed" without giving any write up.	वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
3	No data/information is given in para-12 regarding forest land divented & CA stipulated. In addition, DFO has not given his recommendation in para-13 of part-II of the proposal.	वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
4	In Part-III, CF has not recommended the proposal in clear terms.	वन संरक्षक महोदय द्वारा आपकी आख्या को अग्रसारित किया गया है, जिसमें परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति लिखी जानी है, जो आपकी आख्या उपरान्त ही वन संरक्षक महोदय द्वारा परियोजना हेतु संस्तुति लिखी जायेगी।
5	In the Site Inspection Report of DFO dated 12.02.2015 all the information is not given in proper manner. Further the recommendation is not given.	12.02.2015 की रिपोर्ट आपसे / वनविभाग से सम्बन्धित है।
6	On the eastern side of the proposed road, sufficient	कृषको की भूमि में परियोजना के समरेखण में आधिकांश

F/: OFFICE ORDER 2016 - 326

	non-forest land seems to be available. State Govt. is advised to explore alignment of road in the non-forest land instead of forest land.	स्थानो मे आवास आ जाने के कारण एवं परियोजना के निर्माण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना के समरेखण को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेकण वनभूमि एवं कृषको की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा, जिससे भविष्य में वन भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावनायें इस क्षेत्र में नही होगी।
7	4.5 m width of the road is proposed over 25m length whereas the width is proposed as 9 m in remaining 975m length. The difference in width is not understood, which may be clarified.	परियोजना के समरेखण में आरम्भ में 25 मी० लम्बाई एवं 4.50 मी० चौड़ाई व शेष भाग में 9 मीटर चौड़ाई में समरेखण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस 25 मी० लम्बाई में एक ओर वन भूमि पर पुरातन हनुमान मन्दिर निर्मित है, जिसे हटाया नही जा सकता है, दूसरी ओर कृषको की भूमि है जिसमें उनके आवास निर्मित है। दोनो के बीच 4.50 मी० चौड़ाई में मार्ग का समरेखण प्रस्तावित है। उक्त 4.50 मी० चौड़ाई का ग्रामीणो द्वारा वर्तमान मे मार्ग के रुप मे भी उपयोग किया जा रहा है। उक्तानुसार समरेखण कृषको की भूमि एवं वन भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा जिसको ध्यान मे रखते हुए 25 मी० लम्बाई मे स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार 4.50मी० चौड़ाई ली गयी है।
8	CA is proposed over 0.250 ha in Nihal Block (100 Seedlings) at page 95-96. Plantation in the Vacant space on both side of the road is proposed over 2.00 ha (3200 seedlings) in Nihal Block. This duplicity is not understood and it does not appear to be correst. This needs to be clarified.	वन विभाग से सम्बन्धित।
9	Digital Map with geo-referenced boundaries in respect of forest land proposed for CA showing boundary and names of forest areas as well as other land uses and important physical features in the vicinity may be submittes on suvey of India Toposheet in 1:50,000 scale in hard and soft copy duly authenticated by DFO.	परियोजना का क्षेत्रफल एक हे० से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्ष रोपण और परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन प्रस्तावो में संलग्न है, उक्त परियोजना का क्षेत्रफल एक हे० से कम है। अतः उसे डिजिटल मानचित्र में प्रदर्शित नही किया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

28/05/16

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक ______/______ दिनांक___/___/2016

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

(2)

संख्याः 528 / X-4-15 / 1(77) / 2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

1616 / 4C
9/7/15

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांक 01 ~~जून~~ जुलाई, 2015

विषयः— जनपद—नैनीताल में बोरपुल—हनुमान मंदिर—छोटी हल्द्वानी—गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888, हे0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या—8बी / यू0सी0बी0 / 06 / 08 / 2015 / 440, दिनांक 10 जून, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण हेतु पुनरीक्षित अभिलेख / सूचना / स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 एवं तत्संबंधी मार्ग निर्देशों (गाईड—लाईन) के अनुरूप वांछित बिन्दुओं पर सुस्पष्ट सूचना / अभिलेख सहित प्रस्ताव संबंधित प्रयोक्ता विभाग / संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Joshi

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 528 (1) / X-4-15 / 1(77) / 2015, तददिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग।
2. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।

R 1616 / 4C ~ 9.7.15
प्रति. सहायक अभि०-प्रथम / श्री शैलेश कुमार को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधि० अभि०
9/7

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य),
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL),
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest,
Dehrdun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र संख्या 8बी / यू0सी0बी0 / 06 / 08 / 2015 / 440

Dated: 10.06.2015

1639/4C
1-7-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
सुभाष रोड
उत्तराखण्ड शासन।

विषय : जनपद –नैनीताल में बोरपुल –हनुमान मंदिर–छोटी हल्द्वानी –गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888 है0 आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: आपका पत्रांक–161/X-4-15/1(76)/2015 दिनॉक 30.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करना है कि:–

1. Part-I of the prescribed application Form-A is casually filled and no information/data is given in para-I(क), I(घ), I(च), & para-2. Further, the undertaking regarding payment of CA cost has also not been given by the User Agency.
2. In Part-II, para-10, DFO has simply written "Enclosed" without giving any write up.
3. No data/information is given in Para-12 regarding forest land diverted & CA stipulated. In addition, DFO has not given his recommendation in para-13 of Part-II of the proposal.
4. In Part-III, CF has not recommended the proposal in clear terms.
5. In the Site Inspection Report of DFO dated 12.02.2015 all the information is not given in proper manner. Further, the recommendation is not given.
6. On the eastern side of the proposed road, sufficient non-forest land seems to be available. State Govt. is advised to explore alignment of road in the non-forest land instead of forest land.
7. 4.5 m width of the road is proposed over 25 m length whereas the width is proposed as 9 m in remaining 975 m length. The difference in width is not understood, which may be clarified.
8. CA is proposed over 0.250 ha in Nihal Block (100 seedlings) at page-95-96. Plantation in the vacant space on both side of the road is proposed over 2. 00 ha (3200 seedlings) in Nihal Block. This duplicity is not understood and it does not appear to be correct. This needs to be clarified.
9. Digital map with geo-referenced boundaries in respect of forest land proposed for CA showing boundary and names of forest areas as well as other land uses and important physical features in the vicinity may be submitted on Survey of India Toposheet in 1: 50,000 scale in hard and soft copy duly authenticated by DFO.

Further, action in this matter will be taken on receipt of above documents/clarifications.

भवदीय

(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आदेश पत्रावली

(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

P.T.O.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,हल्द्वानी (नैनीताल)।
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D.Haldwani.
(Phone/Fax) : 05946-223352 E-mail- ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 2312/ 45सी दिनांक 13/08/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग।

विषय :– जनपद नैनीताल के बोरपुल–हनुमान मन्दिर–छोटी हल्द्वानी–गणेश जोशी के खेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8888 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक FP/UK/ROAD/8636/2014 देहरादून दि0 18.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठाकित है के क्रम मे लो0नि0वि0 से सम्बन्धित बिन्दुओ की आख्या निम्नवत् है :–

1. बिन्दु 1 के पार्ट I के पैरा–I(क), I(घ), I(च) जो लो0नि0वि0 से सम्बन्धित है कि सूचना निर्धारित प्रारुप में अंकित कर दी गयीं है, एवं प्रपत्र 2 के भाग 1 के क्रमांक 5 पर प्रतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षा रोपण एवं परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण का प्राकलन (प्रस्तावो मे पृष्ठ सं0 95 से 101 पर) संलग्न है, चूंकि परियोजना हेतु आवेदित भूमि का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से कम है।
2. वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
3. वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
4. वन संरक्षक महोदय द्वारा आपकी आख्या को अग्रसारित किया गया है, जिसमे परियोजना के सम्बन्ध मे संस्तुति लिखी जानी है, जो आपकी आख्या उपरान्त ही वन संरक्षक महोदय द्वारा परियोजना हेतु संस्तुति लिखी जायेगी।
5. 12.02.2015 की रिपोर्ट आपसे/वनविभाग से सम्बन्धित है।
6. कृषको की भूमि मे परियोजना के समरेखण मे आधिकाशं स्थानो मे आवास आ जाने के कारण एवं परियोजना के निर्माण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना के समरेखण को वन भूमि मे प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण वनभूमि एवं कृषको की भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा, जिससे भविष्य में वन भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावनायें इस क्षेत्र में नही होगी।
7. परियोजना के समरेखण मे आरम्भ में 25 मी0 लम्बाई एवं 4.50 मी0 चौडाई व शेष भाग मे 9 मी0 चौडाई में समरेखण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस 25 मी लम्बाई में एक ओर वन भूमि पर पुरातन हनुमान मन्दिर निर्मित है, जिसे हटाया नही जा सकता है, दूसरी ओर कृषको की भूमि है जिसमे उनके आवास निर्मित है। दोनो के बीच 4.50 मी0 चौडाई में मार्ग का समरेखण प्रस्तावित है। उक्त 4.50 मी0 चौड़ाई का ग्रामीणो द्वारा वर्तमान मे मार्ग के रुप मे भी उपयोग किया जा रहा है। उक्तानुसार समरेखण कृषको की भूमि एवं वन भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा जिसको ध्यान मे रखते हुए 25 मी0 लम्बाई मे स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार 4.50 मी0 चौड़ाई ली गयी है।

प्राप्त किया
Hangley
18/08/15

क्रमशः–2

F/: OFFICE ORDER - 1266

8. वन विभाग से सम्बन्धित।

9. परियोजना का क्षेत्र फल एक हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के स्थान पर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षा रोपण और परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षा रोपण के प्राकलन प्रस्तावो मे संलग्न है, उक्त परियोजना का क्षेत्र फल एक हे0 से कम है। अतः उसे डिजिटल मानचित्र में प्रदर्शित नही किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र मे वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या/सूचना के साथ लो0नि0वि0 की उक्त आख्या को नोडल अधिकारी को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः– प्रस्तावो के प्रपत्र 2 के
भाग/पार्ट 1 की संशोधित 5 प्रतियॉं।

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक ____/____

दिनांक ___/___/2015

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल।

3. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।